न्यूज़ टुडे

भारत की राष्ट्रपति ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान किए

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 **विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 9वां वार्षिक संस्करण** है। इस वर्ष की थीम थी – **रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल** (3Rs)।

पुरस्कारों से संबंधित मुख्य तथ्य (2024-25)

- **जनसंख्या आधारित पांच स्तरीय वर्गीकरण:** मिलियन प्लस शहर (10 लाख से अधिक आबादी), बड़े शहर (3–10 लाख), मध्यम शहर (50,000–3 लाख), छोटे शहर (20,000–50,000) और बहुत छोटे शहर (20,000 से कम)।
- **पुरस्कार: निम्नलिखित 4 श्रेणियों में कुल 78 पुरस्कार प्रदान किए गए:**
  - **सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़ (नई श्रेणी):** वे शहर जिन्होंने अपनी पिछली स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग के आधार पर असाधारण प्रदर्शन किया।
    - **इंदौर, सूरत और नवी मुंबई** ने प्रीमियर सुपर स्वच्छ लीग में प्रवेश किया।
  - **पांच स्तरीय जनसंख्या श्रेणियों में शीर्ष 3 शहर: अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ** शीर्ष स्वच्छ शहर के रूप में उभरे।
  - **विशेष श्रेणियां:** गंगा नगर, कैंटोनमेंट बोर्ड, सफाई मित्र सुरक्षा, महाकुंभ आदि।
  - **राज्य स्तरीय पुरस्कार:** राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के **34 शहरों को प्रॉमिसिंग क्लीन सिटीज़ अवॉर्ड** से सम्मानित किया गया।
- **पुरस्कार समारोह में शुरू की गई नई पहलें:**
  - **स्वच्छ शहर भागीदारी: 78 शीर्ष प्रदर्शन** करने वाले शहर अपने-अपने राज्यों के कमजोर प्रदर्शन करने वाले एक-एक शहर को अपनाएंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे।
  - **त्वरित डंपसाइट उपचार कार्यक्रम:** यह एक वर्ष का विशेष कार्यक्रम होगा। इसका उद्देश्य पुराने कचरे (लीगेसी वेस्ट) का उपचार करना और वैज्ञानिक तरीके से अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाना है।

स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में

- **प्रारंभ:** इसे **2016 में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)** के अंतर्गत शुरू किया गया था।
- **शामिल संस्थाएं:** यह सर्वेक्षण प्रतिवर्ष **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)** द्वारा आयोजित किया जाता है।
  - शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) द्वारा प्रस्तुत डेटा का फील्ड आकलन **थर्ड पार्टी एजेंसी** द्वारा सत्यापित किया जाता है।
- **उद्देश्य:** बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना तथा शहरों एवं कस्बों को रहने के लिए बेहतर स्थान बनाने के महत्त्व के प्रति जागरूकता पैदा करना।
- **घटक:**
  - **स्वच्छ सर्वेक्षण:** ULBs द्वारा प्रदान किए गए डेटा, दस्तावेज़ मूल्यांकन और फील्ड आकलन पर आधारित।
  - **प्रमाणन:** ODF+/ ODF++/ Water+ दर्जे के आधार पर, जिनमें 80% और 20% का वेटेज निर्धारित है।

रामसर कन्वेंशन के सचिवालय द्वारा 'ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक, 2025' जारी किया गया

आउटलुक के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **कवरेज:** अंतर्देशीय ताजे पानी की आर्द्रभूमियां और तटीय व समुद्री आर्द्रभूमियां लगभग **1,800 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र** पर फैली हुई हैं।
- **आर्द्रभूमि का क्षरण:** 1970 के बाद से अब तक **विश्व की 22 प्रतिशत आर्द्रभूमियां** नष्ट हो चुकी हैं।
- निम्न आय/ निम्न मध्यम आय वाले देशों (LICs/ LMICs) में **अधिकतर आर्द्रभूमियों की स्थिति खराब** बनी हुई है।
  - **अफ्रीका महाद्वीप** की आर्द्रभूमियों का विश्व स्तर पर **सबसे अधिक क्षरण** हुआ है।
- रामसर कन्वेंशन के रणनीतिक लक्ष्य **कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (KM-GBF) लक्ष्यों के अनुरूप हैं।**
- **आर्द्रभूमियों के समक्ष मौजूद खतरों** में अनियोजित शहरीकरण, तीव्र औद्योगिक और अवसंरचना का विकास आदि शामिल हैं।

सर्वश्रेष्ठ केस स्टडीज

- **रीजनल फ्लाईवे इनिशिएटिव:** यह संपूर्ण एशिया के लिए 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की साझेदारी है। इसके तहत **प्रवासी पक्षियों और लगभग 200 मिलियन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 140 से अधिक आर्द्रभूमियों को पुनः उनकी प्राकृतिक स्थिति** में लाने का प्रयास किया जा रहा है।
- **सेशेल्स** ने दुनिया का पहला संप्रभु **"ब्लू बॉण्ड"** जारी किया है।

आगे की राह

- **आर्द्रभूमियों का राष्ट्रीय योजना में समावेशन:** आर्द्रभूमियों के महत्त्व को समझते हुए उन्हें **प्राकृतिक पूंजी लेखांकन** (Natural Capital Accounting) में शामिल करना चाहिए।
- **वैश्विक जल विज्ञान चक्र** में आर्द्रभूमियों की अहम भूमिका को महत्त्व देना चाहिए।
- **अभिनव वित्तीय समाधानों में आर्द्रभूमियों को शामिल करना और प्राथमिकता देना:** जैसे- ऋण उपकरणों (जैसे- ग्रीन बॉण्ड, ब्लू बॉण्ड आदि) की तरह परिणाम-आधारित वित्त-पोषण साधन आदि अपनाने चाहिए।

आर्द्रभूमियों द्वारा प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण पारिस्थितिक-तंत्र संबंधी सेवाएं

प्रदायक (Provisioning) सेवाएं

- खाद्य
- जल
- कच्ची सामग्री
- जैविक संसाधन
- सजावटी संसाधन

विनियमनकारी (Regulating) सेवाएं

- वायु गुणवत्ता को बनाए रखना
- अपशिष्ट का उपचार
- जलवायु विनियमन
- अपरदन को रोकना
- चरम मौसमी घटनाओं के प्रभाव को कम करना
- जैविक नियंत्रण
- जल प्रवाह संबंधी विनियमन

रामसर कन्वेंशन, 1971 के बारे में

- यह एक **अंतर-सरकारी संधि है**। यह **आर्द्रभूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण एवं बुद्धिमतापूर्ण उपयोग** के लिए रूपरेखा प्रदान करती है।
- भारत ने **1982 में इसकी अभिपुष्टि** की थी।

केंद्र सरकार पोलावरम-बनकाचेरला लिंक परियोजना (PBLP) को लेकर एक समिति का गठन करेगी

केंद्र सरकार ने **तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच लंबित अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित मुद्दों** की जांच के लिए एक **उच्च-स्तरीय तकनीकी समिति** गठित करने का फैसला किया है।

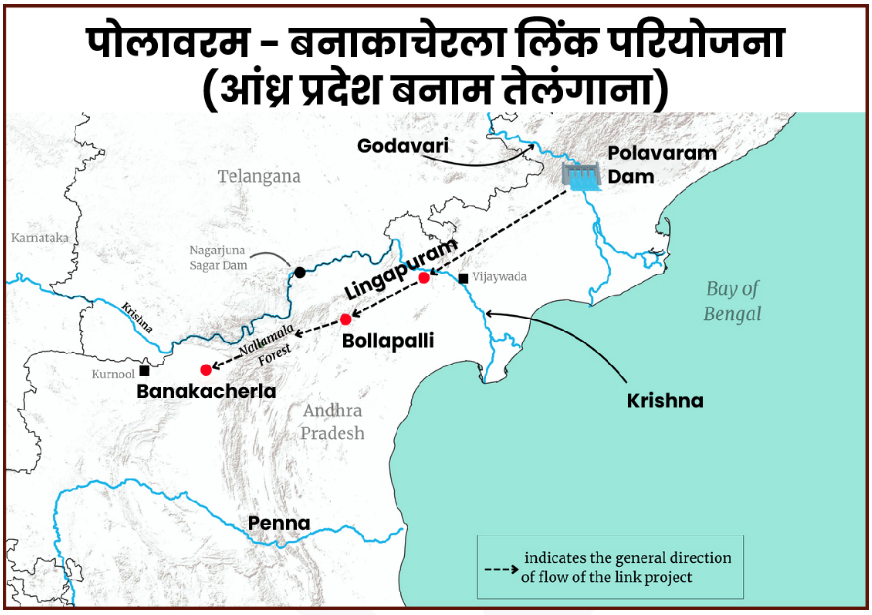

पोलावरम परियोजना क्या है?

- पोलावरम परियोजना **आंध्र प्रदेश के पोलावरम मंडल के रामाय्यापेटा गाँव के पास गोदावरी नदी** पर बनाई जा रही है।
- **उद्देश्य:** इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य **सिंचाई का विकास करना, जलविद्युत उत्पादन करना, पेयजल उपलब्ध कराना** और सूखे से प्रभावित **रायलसीमा क्षेत्र** को राहत देने के लिए **कृष्णा नदी बेसिन में पानी डाइवर्ट** है।
- **विवाद:** तेलंगाना ने आंध्र प्रदेश पर आरोप लगाया है कि वह **आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में सहमत अंतर्राज्यीय नदी जल साझाकरण समझौते** का उल्लंघन कर रहा है।

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद समाधान तंत्र

- **वैधानिक प्रावधान:**
  - **अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (ISRWD) अधिनियम, 1956:** यह केंद्र सरकार को जल विवादों के समाधान के लिए **जल विवाद अधिकरण** गठित करने का अधिकार देता है।
  - **नदी बोर्ड अधिनियम, 1956:** यह अधिनियम केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन एवं विकास के लिए **नदी बोर्ड** स्थापित करने का अधिकार देता है।
- **संवैधानिक प्रावधान (संविधान के नियम)**
  - **अनुच्छेद 262:** यह संसद को अंतर्राज्यीय नदी जल से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन (निपटारे) के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।
    - यह अधिनियम **सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य न्यायालय को किसी भी जल विवाद पर अधिकार-क्षेत्र का उपयोग** करने से रोकता है, यदि वह विवाद किसी अधिकरण को भेजा गया हो।
  - **संघ सूची की प्रविष्टि 56:** यह केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन एवं विकास का अधिकार देती है।

सुप्रीम कोर्ट ने जनजातीय महिलाओं को पुरुषों के समान उत्तराधिकार का अधिकार प्रदान किया

यह निर्णय **राम चरण एवं अन्य बनाम सुखराम एवं अन्य वाद** में आया है। कोर्ट ने जनजातीय रीति-रिवाजों के आधार पर **महिलाओं को उत्तराधिकार से वंचित करने के खिलाफ अपील** की सुनवाई पर यह निर्णय सुनाया है।

इस निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- जनजातीय महिलाओं को उत्तराधिकार से वंचित करना संविधान के **अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है।**
  - **अनुच्छेद 38 और 46** मिलकर **संविधान के सामूहिक लोकाचार को दर्शाते हैं**, जो यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं के खिलाफ कोई भी भेदभाव न हो।
- हालांकि, **हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं** होता है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जनजातीय महिलाओं को उत्तराधिकार से स्वतः ही बाहर कर दिया जाएगा।
- इस संबंध में संहिताबद्ध प्रथा या रीति रिवाज के तहत प्रतिबंध के अभाव में, कोर्ट को **न्याय, समता और सद्भाव के सिद्धांतों** को लागू करना चाहिए।
- **इससे संबंधित कुछ उदाहरण:**
  - **श्रीमान सरवांगो बनाम श्रीमान उर्चामहिन वाद (2013):** इसमें समानता के आधार पर बेटियों को उत्तराधिकार का हक देने का आदेश दिया गया था।
  - **तिरिथ कुमार बनाम दादूराम वाद (2024):** इसके तहत जनजातीय संपत्ति में महिला उत्तराधिकार की हक़दारी को बरकरार रखा गया था।

महत्त्व: यह निर्णय **जनजातीय समुदायों में लैंगिक न्याय को आगे बढ़ाता** है तथा जनजातीय महिलाओं के उत्तराधिकार संबंधी अधिकारों पर कोर्ट के पूर्ववर्ती सतर्क रुख में बदलाव को दर्शाता है।

कानून के स्रोत के रूप में रीति-रिवाज

- रीति-रिवाज **कानून के सबसे पुराने स्रोतों** में से एक हैं। ये **मानव व्यवहार को निर्धारित** करते हैं और **कोर्ट द्वारा मान्यता मिलने पर कानूनी रूप से बाध्यकारी** हो जाते हैं।
- **रीति-रिवाजों या प्रथाओं या परंपराओं को बाध्यकारी कानून के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए तर्कसंगतता, नैतिकता** जैसे मानदंडों को पूरा करना होता है।
- कुछ रीति-रिवाज **तर्क का दमन** कर सकते हैं और **रुढ़िवादिता** को जन्म दे सकते हैं जैसे **सती प्रथा, बाल विवाह, ट्रिपल तलाक** आदि।

CARA ने बाल दत्तक ग्रहण के सभी चरणों में परामर्श सहायता को मजबूत करने के लिए राज्यों को निर्देश जारी किए

ये निर्देश **किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) तथा दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के तहत राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियों (SARAs)** के लिए जारी किए गए हैं।

SARAs को दिए गए मुख्य निर्देश:

- **सभी प्रमुख हितधारकों** जैसे- संभावित दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता, दत्तक ग्रहण किए गए बच्चे और जैविक माता-पिता के लिए **मनोसामाजिक सहायता ढांचे को मजबूत** किया जाए।
- SARAs को जिलों और राज्य स्तर पर **योग्य परामर्शदाताओं को नामित/ पैनल में शामिल** करना होगा।
- यदि **विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियां (SAAs) या जिला बाल संरक्षण इकाइयां (DCPUs)** किसी अन्य स्थिति में भी परामर्श की आवश्यकता महसूस करें, तो **मनोसामाजिक हस्तक्षेप** की व्यवस्था की जाए।

भारत में बाल दत्तक ग्रहण

- **नोडल मंत्रालय:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
- **प्राथमिक कानून:** भारत में दत्तक ग्रहण मुख्य रूप से **हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000** द्वारा नियंत्रित होता है।
- **नोडल केंद्रीय एजेंसी: केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA)** घरेलू और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण को विनियमित करता है। CARA को **किशोर न्याय अधिनियम** के तहत स्थापित किया गया है।
- **बच्चों के संरक्षण और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण में सहयोग पर हेग कन्वेंशन (1993):** यह अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को **नैतिक, कानूनी और पारदर्शी** बनाता है। साथ ही, **बाल तस्करी को रोकने** में भी मदद करता है।
- **राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी:** राज्य और केंद्र शासित प्रदेश **किशोर न्याय अधिनियम** को निम्नलिखित संस्थानों के माध्यम से लागू करते हैं:
    - **राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियां (SARA);**
    - **स्थानीय बाल कल्याण समितियां; तथा**
    - **जिला बाल संरक्षण इकाइयां (DCPUs)**

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) के बारे में

- CARA **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक** निकाय है।
- **निगरानी:** यह देश में दत्तक ग्रहण और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण दोनों की निगरानी करता है।
- **केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित:** CARA को **हेग कन्वेंशन, 1993** के प्रावधानों के अनुसार अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में **केंद्रीय प्राधिकरण** के रूप में नामित किया गया है। भारत ने **हेग कन्वेंशन की 2003 में अभिपुष्टि** की थी।

अन्य सुर्ख़ियां

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA)

केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने NFRA के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की है।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के बारे में

- भारत सरकार ने 2018 में **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत NFRA की स्थापना की थी।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली
- **कार्य और जिम्मेदारियां**
    - कंपनियों के **लेखांकन और ऑडिट नीतियों** तथा मानकों की सिफारिश करना।
    - लेखांकन और ऑडिट मानकों के **पालन की निगरानी करना और उसे लागू करना।**
    - लेखांकन और ऑडिट पेशे से जुड़े व्यक्ति/संस्था **की सेवा की गुणवत्ता की निगरानी** करना।
    - **ऐसे अन्य कार्य और कर्तव्य को पूरा करना** जो उपर्युक्त कार्यों और कर्तव्यों के लिए आवश्यक या प्रासंगिक हों।

सिंबेक्स अभ्यास (SIMBEX Exercise)

भारतीय नौसेना सिंगापुर में आयोजित **32वें सिंगापुर–भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास (SIMBEX)** में भाग ले रही है।

सिंबेक्स अभ्यास के बारे में

- **शुरुआत:** यह **'लायन किंग अभ्यास'** के नाम से 1994 में शुरू हुआ था।
- यह **भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना** के बीच हर साल आयोजित होने वाला अभ्यास है।
    - भारत इस **समुद्री अभ्यास में काफी लंबे वक्त से** भाग ले रहा है।
    - यह अभ्यास भारत के **सागर/SAGAR (सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन)** विजन और **एक्ट ईस्ट नीति** के अनुरूप है।

प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS)

'पीएम विकास ' के तहत **'कौशल प्रशिक्षण और महिला उद्यमिता विकास'** परियोजना को शुरू की गई है।
- यह परियोजना अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिए **IIIT कोट्टायम** में शुरू की गई है।

पीएम विकास (PM VIKAS) के बारे में
- **क्रियान्वयन मंत्रालय:** केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
- **योजना का प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक योजना
- यह अग्रलिखित **पाँच पुरानी योजनाओं को मिलाकर** बनाई गई है; **सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, उस्ताद** और **हमारी धरोहर**।
- **उद्देश्य:**
  - **छह मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समुदायों** का कौशल विकास के माध्यम से उत्थान,
  - अल्पसंख्यक महिलाओं में उद्यमिता और नेतृत्व कौशल को बढ़ावा देना,
  - स्कूल छोड़ चुके बच्चों को शिक्षा प्राप्ति में मदद देना।
    - भारत में आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त छह अल्पसंख्यक समुदाय हैं; **मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी (जोरोस्ट्रियन)**।
- इस योजना का क्रियान्वयन **स्किल इंडिया मिशन** के साथ मिलाकर किया जा रहा है।

ग्लोबल फाइंडेक्स 2025

The Global Findex Database 2025

हाल ही में विश्व बैंक की **'ग्लोबल फाइंडेक्स 2025'** रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट **डिजिटल और वित्तीय समावेशन में उपलब्धियों** को दर्शाती है।

रिपोर्ट में भारत से जुड़े मुख्य बिंदुओं पर एक नजर
- भारत में लगभग **90%** लोग खाताधारक (Account ownership) हैं अर्थात वे वित्तीय प्रणाली से जुड़ चुके हैं।
- **16% खाताधारकों** के खाते निष्क्रिय हैं यानी इनमें कोई लेनदेन नहीं होता है। अन्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों में यह अनुपात केवल 4% है।
- **2021 से 2024 के बीच**, केवल निष्क्रिय खाते रखने वाली महिलाओं और पुरुषों का अनुपात कम हुआ है।
- **मोबाइल फोन नहीं रखने में मुख्य बाधाएं हैं –**
  - डिवाइस की ऊँची कीमत
  - भरोसेमंद मोबाइल नेटवर्क कवरेज की कमी।

शहरी वायु-मंदन प्रभाव (Urban Wind Stilling Effect)

एक अध्ययन में पाया गया है कि **शहरी वायु-मंदन प्रभाव** उत्तर भारत में **'शहरी एरोसोल स्वच्छ द्वीप (Urban Aerosol Clean Islands)'** का निर्माण करता है।
- उत्तर-पश्चिमी और उत्तरी **सिन्धु-गंगा मैदान** के 43% शहरों में अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में **एयरोसोल का स्तर कम** पाया गया है।
  - इन शहरों को **'शहरी एरोसोल-स्वच्छ द्वीप'** कहा गया है।
  - एरोसोल वे **कोलाइड** होते हैं जिनमें किसी तरल या ठोस कणों का विसरण (प्रसार) एक गैसीय माध्यम में होता है।
    - **उदाहरण:** कोहरा, बादल, धुआँ आदि।

'शहरी वायु-मंदन प्रभाव' क्या है?
- यह प्रभाव **शहरों में बनी ऊँची इमारतों और संरचनाओं** के कारण धरातलीय पवनों के **मंद पड़ने** से उत्पन्न होता है।
- यह अदृश्य अवरोध पैदा करता है और **दूर से आने वाली धूल और प्रदूषकों के शहर में प्रवेश की गति को कम** कर देता है।

आर्थिक गणना (Economic Census)

केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 8वीं आर्थिक गणना के प्रारंभिक कार्य को **भारत की 16वीं जनगणना के साथ एकीकृत करने का सुझाव** दिया है।

आर्थिक गणना के बारे में
- **आयोजक:** केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)
- **उद्देश्य:** किसी निश्चित अवधि में **देश में संचालित उद्यमी (Entrepreneurial) गतिविधियों की पूरी गणना** करना।
- आर्थिक गणना अग्रलिखित विषयों पर विस्तृत डेटा प्रदान करती है: **उद्यमी-स्वामित्व की स्थिति; उद्यमिता में संलग्न लोगों की संख्या; आर्थिक गतिविधियों का भौगोलिक (क्षेत्रीय) विस्तार आदि।**
- पूर्व में 2019, 2013, 2005, 1998, 1990, 1980, 1977 में आर्थिक गणना कराई जा चुकी है।

आकाश प्राइम

भारत ने **लद्दाख में अत्यधिक ऊंचाई पर उच्च गति वाले मानव-रहित दो हवाई लक्ष्यों** को **आकाश प्राइम** मिसाइल से सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया।

आकाश प्राइम के बारे में

- इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने विकसित किया है।
- यह भारत की स्वदेशी **सतह-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAM) प्रणाली "आकाश"** का उन्नत संस्करण है।
- इस मिसाइल प्रणाली को **अत्यधिक ठंडे मौसम, अधिक ऊँचाई (4500 मीटर से ऊपर) और कम ऑक्सीजन** वाले वातावरण में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

मैटर-एंटीमैटर विसंगति

CERN के वैज्ञानिकों ने पहली बार **बैरियॉनों में CP वायलेशन (उल्लंघन)** अवलोकन किया है। इससे ब्रह्मांड में मैटर–एंटीमैटर विसंगति को समझने में सफलता मिल सकती है।

मैटर–एंटीमैटर विसंगति के बारे में
- यह ब्रह्मांड में अवलोकन की गई उस विसंगति को दर्शाता है जिसमें **मैटर की मात्रा एंटीमैटर की तुलना में कहीं अधिक** होती है।
- आधुनिक भौतिकी के अनुसार, **बिग बैंग परिघटना** के समय मैटर और एंटीमैटर की **समान मात्रा बननी चाहिए थी**, लेकिन आज जो ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, वह लगभग पूरी तरह मैटर से भरा हुआ है और एंटीमैटर लगभग अनुपस्थित है।

CP वायलेशन के बारे में:
- **C (चार्ज कोनजुगेशन):** पार्टिकल्स को उनके एंटी पार्टिकल्स से बदलना।
- **P (पेरीटी):** स्थानिक निर्देशांक को उलटना यानी **दर्पण प्रतिबिंब** बनाना।
- **CP समरूपता:** इसका मतलब है कि यदि **पार्टिकल्स को उनके एंटीपार्टिकल्स से बदल दिया** जाए और दर्पण में देखा जाए तो भौतिकी के नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा।
- **CP वायलेशन:** जब **मैटर और एंटीमैटर** अलग तरह से व्यवहार करते हैं, तो CP समरूपता का वायलेशन होता है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

बोलीविया (राजधानियां: सूक्र और ला पाज़)

भारत ने **बोलीविया को खसरा-रूबेला के प्रकोप से निपटने के लिए 3 लाख वैक्सीन की खुराक** भेजी है।

- **भौगोलिक अवस्थिति**
  - यह **दक्षिण अमेरिका के पश्चिम-मध्य** भाग में स्थित है।
  - यह एक **स्थल-रुद्ध (Landlocked)** देश है।
  - **सीमा साझा करने वाले देश:** इसके उत्तर और पूर्व में **ब्राजील**, दक्षिण-पूर्व में **पराग्वे**, दक्षिण में **अर्जेंटीना**, दक्षिण-पश्चिम में **चिली** और उत्तर-पश्चिम में **पेरू** अवस्थित हैं।
- **भौगोलिक विशेषताएं**
  - यहाँ मुख्य रूप से **एंडीज पर्वतमाला (कार्डिलेरा पर्वत श्रेणी)** का विस्तार है।
  - **टिटिकाका झील:**
    - यह बोलीविया और पेरू की सीमा पर स्थित है।
    - यह **दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य (Navigable) झील** है।